निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 237/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्री नारायण पुत्र कानजी
2. डूंगरसी पुत्र कानजी

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नीमला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विमल लाल मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. छोटू राम पुत्र कानजी
3. रामस्वरूप पुत्र कानजी
4. रामपाल पुत्र कानजी

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नीमला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 100/2022 व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2022 व उनवानी छोटूराम व अन्य बनाम डूंगरसी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री नीरज डांगरवाडा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 22.11.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 100/2022 व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2022 व उनवानी छोटूराम व अन्य बनाम डूंगरसी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते जवाब विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 उच्च राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, जिनकी पहुंच ऊपर तक है जो गांव में लोगों से कहते रहते है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को जो करना है वह करले, हम उक्त वाद में हमारे मन माफिक निर्णय अधिकारी से करवा कर अच्छी–अच्छी भूमि प्राप्त करेंगे और जिस भूमि पर प्रार्थीगण काविज है उसको भी हम निर्णय के द्वारा हमारे हक में करवा लेंगे। उक्त वाद में अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया जाना है, परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशियां दी जा रही है जिससे भी यह सावित हो रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के प्रभाव में है जिसके चलते उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा छोटी–छोटी तारीख पेशियां दी जाकर प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष एक प्रकरण संख्या 528/2022 सरकार बनाम श्री नारायण विचाराधीन था। उक्त प्रकरण को सरकार द्वारा दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में कार्यवाही ड्रोप करते हुये फैसल शुमार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर उक्त प्रकरण को वापस दिनांक 19.06.2022 को रिकार्ड पर लेकर प्रार्थीगण के नोटिस जारी करवा दिये जो कि कानूनी प्रकिया के विरूद्व था इससे भी प्रार्थीगण को शंका है कि पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद नहीं है। पूर्व तारीख पेशियों पर भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठा हुआ व उनसे हंसते हुए बातचीत करता हुआ देखा गया है और इस कारण ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रकरण में बिना कोई न्यायिक विवेक लगाये ही छोटी–छोटी तारीख पेशियां देकर प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निस्तारित करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की उक्त हरकतों को देखकर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है ? जब अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 से मिल गये है तो फिर प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है प्रार्थीगण को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुये प्राथी को ऐसा प्रतीत हो कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही हो सकता है। न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण नही चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण ने काल्पनिक, मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये है, उनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल छोटी तारीख पेशी दिये जाने से कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नही होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर